



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-21062025-264027
CG-CG-E-21062025-264027

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2691]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20 2025/ज्येष्ठ 30, 1947

No. 2691]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2025/JYAISTHA 30, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

विलासपुर, 19 जून, 2025

का.आ. 2756(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 37ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसरचना मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गयी सारणी के कालम (2) में उल्लेखित निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है, जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सारणी

क्रमांक सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	“विलासपुर डिवीजन: चांपा-बालपुर के बीच किमी. 671/10-12 पर एल.सी.टी. संख्या सी.जी.-5 के स्थान पर आर.यू.बी./एल.एच.एस. का निर्माण

[फा. सं. डीवाई.सीई/जीएसयू/बी एस पी/आर ओ बी /एल सी संख्या CG-05/भूमि अधिग्रहण]
संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सी/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C. Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 19th June, 2025

S.O. 2756(E).— In exercise of powers conferred by clause 37A of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following projects as mentioned in column (2) of the Table below as Special Railway Projects in the State of Chhattisgarh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in official gazette.

Table

Serial Number	Name of Project
(1)	(2)
1.	“Bilaspur Division : Construction of RUB/LHS in lieu of LC No. CG-5 at Km.671/10-12 between CHAMPA - BALPUR.”.

[F. No. DY.CE/GSU/BSP/ROB/LC No. CG-05/land acquisition]

SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP